रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-49/2019/1370/22-2-2019-17(706)/2019

लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान (बन्दी संख्या-16454) पुत्र श्री विशाल सिंह, जो-निवासी-परसरामपुर** थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-217/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149, 201** के अधीन **दिनांक 20.09.1978** को मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा आजीवन कारावास के **दण्ड से दण्डित** किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.1992 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2002 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा 15 वर्ष 10 माह 20 दिन अपरिहार सजा, 20 वर्ष 11 माह 25 दिन अपरिहार काटी गयी सजा, दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा बन्दी की वृद्धा अवस्था, संतोषजनक जेल आचरण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आजीवन कारावास के बंदियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में समस्त प्रदेशों हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2019/1370(1)/22-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
3- पुलिस अधीक्षक मैनपुरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in